प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **27 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

अरविन्द सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़ पता: 19, मीरा नगर 1, पुराना आरटीओ, प्रताप नगर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 10.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/27/25/207–08 दिनांक 21.02.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/121 दिनांक 20.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम कालानाड पटवार हल्का थामला में स्थित औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि में चल रहे पत्थर पीसने के प्लांटों के बारे में बिन्दुवार प्रश्न पुछे गये है। प्रार्थी को जरिये पत्रांक 802 दिनांक 26.12.2024 से सूचित किय गया कि आपके पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 29 तक प्रश्न पुछे जा रहे है जबकि कार्यालय से सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। प्रार्थी को कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

अपीलार्थी द्वारा परिकथन किया गया कि मेरे द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली से ग्राम पंचायत थामला में चल रहे पत्थर पीसने के प्लांटों के बारे में सूचना चाही गई थी, परन्तु मुझ प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कोई सूचना नहीं चाही जाकर प्रश्नोतरी की गई है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन पत्र का जवाब अधिनियम के अंतर्गत नियत अवधि में प्रेषित किया

जाना प्रत्यर्थी के पत्र क्रमांक 802 दिनांक 26.12.2024 से स्पष्ट है एवं प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत प्रत्युत्तर से यह न्यायालय प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर